

सरल
भाषा में

हिंदू उत्तराधिकार कानून - आम लोगों के लिए मार्गदर्शिका

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख व्यक्तियों के उत्तराधिकार तथा संपत्ति के बंटवारे से संबंधित नियम निर्धारित करने वाला कानून है।

जटिल कानून को सरल और सहज भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इस अधिनियम से उत्तराधिकार तय करने की स्पष्ट प्रक्रिया मिलती है, स्त्री-पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं और संयुक्त परिवार की संपत्ति में सदस्यों के अधिकारों को मजबूती मिलती है।

इससे न्यायपूर्ण बंटवारा होता है, विवाद टलते हैं और वारिसों को उनका हिस्सा सुरक्षित रूप से मिलता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

1. प्रस्तावना व उद्देश्य
2. महत्वपूर्ण धाराएँ
3. संपत्ति के प्रकार - स्वअर्जित व पैतृक
4. संयुक्त परिवार में अधिकार
5. हिंदू कोन है व कानून किस पर लागू होता है
6. पुत्र व पुत्री के समान अधिकार (2005 संशोधन)
7. वारिसों के प्रकार - प्रथम व द्वितीय वर्ग
8. वसीयत के बिना उत्तराधिकार अधिकार
9. हिंदू स्त्री के अधिकार (माता, पत्नी, पुत्री, विधवा)
10. स्त्री की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार अधिकार
11. सोतेले वारिसों के अधिकार

श्रुतिका मोहन गोचडे

(B.A.LL.B.)
(Diploma in DCL)



अजय सुनील माने

(B.A.LL.B. LL.M.)

हिंदू उत्तराधिकार कानून - आम लोगों के लिए मार्गदर्शिका

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख व्यक्तियों के उत्तराधिकार तथा संपत्ति के बंटवारे से संबंधित नियम निर्धारित करने वाला कानून है। जटिल कानून को सरल और सहज भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इस अधिनियम से उत्तराधिकार तय करने की स्पष्ट प्रक्रिया मिलती है, स्त्री-पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं और संयुक्त परिवार की संपत्ति में सदस्यों के अधिकारों को मजबूती मिलती है। इससे न्यायपूर्ण बंटवारा होता है, विवाद टलते हैं और वारिसों को उनका हिस्सा सुरक्षित रूप से मिलता है।

प्रस्तावना

घर में संपत्ति, जमीन-जायदाद, विरासत, अधिकार और बंटवारे के प्रश्न उत्पन्न होते रहते हैं। कई बार कानून की जानकारी न होने के कारण परिवार में विवाद, गलतफहमियां और मामला अदालत तक पहुंच जाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu Succession Act) हमारे अधिकारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कानून है, लेकिन आम लोगों को यह कठिन और जटिल लगता है।

इस पुस्तक में वारिसों का वर्गीकरण, महिलाओं के अधिकार, जमीन का बंटवारा, आवेदन के नमूने, आवश्यक दस्तावेज आदि सभी बातें सरल भाषा में समझाई गई हैं। इससे पाठक अपने अधिकार को समझ सकेंगे और उचित कदम उठाना उनके लिए आसान होगा।

इस पुस्तक का उद्देश्य सरल है,

-  आम नागरिक को कानून की आसान जानकारी देना
-  उत्तराधिकार और बंटवारे की प्रक्रिया में स्पष्टता लाना
-  परिवार में अनावश्यक विवाद टालकर न्यायपूर्ण समाधान प्राप्त करना

यह पुस्तक वकील, कानून के विद्यार्थी तथा सामान्य पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मुझे विश्वास है।

महत्वपूर्ण बिंदु

1. प्रस्तावना व उद्देश्य
2. महत्वपूर्ण धाराएँ
3. संपत्ति के प्रकार – स्वअर्जित व पैतृक
4. संयुक्त परिवार में अधिकार
5. हिंदू कौन है व कानून किस पर लागू होता है
6. पुत्र व पुत्री के समान अधिकार (2005 संशोधन)
7. वारिसों के प्रकार – प्रथम व द्वितीय वर्ग
8. वसीयत के बिना उत्तराधिकार अधिकार
9. हिंदू स्त्री के अधिकार (माता, पत्नी, पुत्री, विधवा)
10. स्त्री की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार अधिकार
11. सौतेले वारिसों के अधिकार

श्रुतिका मोहन गोचडे

लेखक

अजय सुनील माने



संपर्क:

 : ७२६३८८९२९२

 : कायद्याचं आणि फायद्याचं

ईमेल: asconsultancy69@gmail.com

अनुक्रमणिका
(हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 – सरल भाषा में)

प्रकरण 1 – प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार
 2. कानून लागू करने का उद्देश्य
 3. परिभाषाएँ व स्पष्टीकरण
 4. कानून का प्रभाव
-

प्रकरण 2 – अवसीयत उत्तराधिकार (अर्थात् वसीयत किए बिना उत्तराधिकार)

5. जिस प्रकार की संपत्ति पर यह कानून लागू नहीं होता
6. सहदायिक संपत्ति में हिस्सा
7. विशेष पद्धति से प्राप्त संपत्ति संबंधी नियम
8. पुरुष की मृत्यु के बाद वारिसों में संपत्ति वितरण के सामान्य नियम
9. वारिसों के वर्गानुसार (अनुसूची के अनुसार) वितरण का क्रम
10. वर्ग 1 के वारिसों में वितरण
11. वर्ग 2 के वारिसों में वितरण
12. गोत्रानुसार उत्तराधिकार
13. श्रेणी निर्धारित करने की पद्धति
14. हिंदू स्त्री की संपत्ति उसी की मानी जाती है
15. हिंदू स्त्री की मृत्यु के बाद वारिसों में वितरण के नियम
16. हिंदू स्त्री के वारिसों में वितरण का क्रम व पद्धति
17. विशेष पद्धति का उत्तराधिकार (मरुमक्कत्तायम व आळियसंतान)
18. सगे संबंध को प्राथमिकता
19. एक से अधिक वारिस होने पर वितरण के नियम
20. गर्भस्थ संतान का भी अधिकार
21. एक ही समय मृत्यु होने पर क्या मानना
22. विशेष परिस्थिति में संपत्ति खरीदने का अधिकार
23. निवास घर पर विशेष अधिकार (रह किया गया है)

- 24. पुनर्विवाह करने पर उत्तराधिकार अधिकार नहीं
 - 25. हत्या करने वाला वारिस नहीं बन सकता
 - 26. धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति का वंशज अपात्र
 - 27. वारिस अपात्र ठहरने पर क्या होगा
 - 28. बीमारी या मानसिक त्रुटियों के कारण अपात्र नहीं ठहराया जाएगा
 - 29. एक भी वारिस न हो तो
-

प्रकरण 3 – वसीयत उत्तराधिकार

- 30. वसीयत द्वारा संपत्ति वितरण
-

प्रकरण 4 – अंतिम प्रावधान

- 31. पूर्व के कानून रद्द करना
 - 32. अनुसूची
-

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
(Act No. 30 of 1956 – 5 दिसंबर 1956 से लागू)

यह कानून हिंदू धर्मीय व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति किसे, कैसे और कितनी बांटी जाएगी, यह निर्धारित करने के लिए बनाया गया है।

भाग 5 – प्रत्यक्ष उदाहरण व मार्गदर्शन

- 25. सरल उदाहरण (काल्पनिक)
 - 26. व्यवहार के सामान्य विवाद
 - 27. विवाद टालने के लिए टिप्स
-

भाग 6 – Landmark Judgments (महत्वपूर्ण न्यायनिर्णय)

28. *Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma* (2020) – पुत्रियों को समान अधिकार

29. *Danamma @ Suman Surpur v. Amar* (2018) – 2005 पूर्व जन्मी पुत्रियों के अधिकार

30. *Prakash v. Phulavati* (2016) – संशोधन की लागू अवधि

31. *Gurupad Khandappa Magdum v. Hirabai* (1978) – काल्पनिक विभाजन पद्धति

32. *K. Venkata Rao v. K. Ranga Rao* (1969) – अगनात व कगनात वारिस

भाग 7 – निष्कर्ष व लेखक के अंतिम शब्द

33. अंतिम शब्द – पाठकों के लिए संदेश



कानून का महत्व

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का महत्व

1. हिंदू परिवार में उत्तराधिकार तय करना

यह अधिनियम हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख लोगों की संपत्ति के उत्तराधिकार के बारे में स्पष्ट नियम तय करता है।